



रोस्टर पंजिका
पदनाम- सहायक प्राध्यापक

कुल पद-46, अनुसूचित जाति(19%)- 09 , अन्य पिछड़ा वर्ग(14%)-06 , आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग(10%)-04 , अनुसूचित जनजाति(4%)- 02 अनारक्षित-25					
रोस्टर क्रमांक	पद की श्रेणी (ऊर्ध्व आरक्षण)	क्षैतिज आरक्षण	पदनाम/विभाग	पद की अद्यतन स्थिति	अभ्युक्ति
1	अनुसूचित जाति-1		शिक्षा शास्त्र	पूरित	
2	अनारक्षित-1		हिन्दी	पूरित	
3	अनारक्षित-2		राजनीति विज्ञान	रिक्त / प्रतिस्थापित	त्याग-पत्र स्वीकृत होने की तिथि (दिनांक 21-11-2025) से पद को रिक्त मानते हुए क्रमांक 44 पर प्रतिस्थापित
4	अनारक्षित-3		प्रबंधन अध्ययन	पूरित	
5	अनारक्षित-4	उ० महिला	रसायन विज्ञान	पूरित	
6	अनुसूचित जाति-2		प्रबंधन अध्ययन	पूरित	
7	अन्य पिछड़ा वर्ग-1		रसायन विज्ञान	पूरित	
8	अनारक्षित-5		कृषि	पूरित	
9	अनारक्षित-6		वानिकी	पूरित	
10	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग-1		विधि	पूरित	
11	अनुसूचित जाति-3		रसायन विज्ञान	पूरित	
12	अनारक्षित-7	उ० महिला	शिक्षा शास्त्र	पूरित	
13	अनारक्षित-8		अंग्रेजी	पूरित	
14	अन्य पिछड़ा वर्ग-2		शिक्षा शास्त्र	पूरित	
15	अनारक्षित-9		कम्प्यूटर साइंस	पूरित	
16	अनुसूचित जाति-4	उ० महिला	मनोविज्ञान	पूरित	
17	अनारक्षित-10	उ० महिला	अर्थशास्त्र	पूरित	
18	अनारक्षित-11		शिक्षा शास्त्र	पूरित	
19	अन्य पिछड़ा वर्ग-3		गृह विज्ञान	पूरित	
20	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग-2		वनस्पति विज्ञान	पूरित	
21	अनुसूचित जाति-5		गणित	पूरित	
22	अनारक्षित-12		योग	पूरित	
23	अनारक्षित-13		भौतिकी	पूरित	
24	अनुसूचित जनजाति-1		पुस्तकालय एवं सु० वि०	रिक्त	




25	अनारक्षित-14	उ० महिला	भूगोल	रिक्त	
26	अनुसूचित जाति-6		योग	पूरित	
27	अनारक्षित-15		समाज कार्य	पूरित	
28	अन्य पिछड़ा वर्ग-4	उ० महिला	भौतिकी	पूरित	
29	अनारक्षित-16		पत्रकारिता एवं जनसंचार	पूरित	
30	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग-3		संस्कृत	रिक्त	
31	अनुसूचित जाति-7	उ० महिला	पुस्तकालय एवं सु० वि०	रिक्त	
32	अनारक्षित-17	उ० महिला	समाज शास्त्र	रिक्त	
33	अनारक्षित-18		पर्यटन	पूरित	
34	अनारक्षित-19		ज्योतिष	पूरित	
35	अन्य पिछड़ा वर्ग-5		होटल प्रबंधन	रिक्त	
36	अनुसूचित जाति-8		संगीत	पूरित	
37	अनारक्षित-20		लोक प्रशासन	पूरित	
38	अनारक्षित-21	भू० पू० सैनिक	वाणिज्य	रिक्त	
39	अनारक्षित-22	उ० के अनाथ बच्चे	आयुर्वेद	रिक्त	
40	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग-4	उ० महिला	इतिहास	रिक्त	
41	अनुसूचित जाति-9		वाणिज्य	पूरित	
42	अन्य पिछड़ा वर्ग-6		उर्दू	रिक्त	
43	अनारक्षित-23		भौतिकी	पूरित	
44	अनारक्षित-24	उ० महिला	राजनीति विज्ञान	रिक्त	
45	अनारक्षित-25	दिव्यांगजन	-	-	
46	अनुसूचित जाति-10	उ० महिला	-	-	
47	अनारक्षित-26		हिन्दी	पूरित	
48	अनुसूचित जनजाति-2		व्यावसायिक अध्ययन	रिक्त	
49	अन्य पिछड़ा वर्ग-7	उ० महिला	-	-	
50	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग-5		-	-	
51	अनुसूचित जाति-11		-	-	
52	अनारक्षित-27	उ० महिला	-	-	
53	अनारक्षित-28		बी.एड. (विशिष्ट शिक्षा)	पूरित	
54	अनारक्षित-29				

Qing

ut

fan

Wolal

th

9

रोस्टर पंजिका
पदनाम- सह- प्राध्यापक

कुल पद-40, अनुसूचित जाति(19%)- 02, अन्य पिछड़ा वर्ग(14%)- 01, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग(10%)- 01, अनुसूचित जनजाति(4%)- 00 अनारक्षित- 06

रोस्टर क्रमांक	पद की श्रेणी (ऊर्ध्व आरक्षण)	क्षैतिज आरक्षण	पदनाम/विभाग	पद की अद्यतन स्थिति	अभ्युक्ति
1	अनुसूचित जाति-1		अर्थशास्त्र	रिक्त	
2	अनारक्षित-1		कंप्यूटर साइंस	पूरित	
3	अनारक्षित -2		पत्रकारिता एवं जनसंचार	पूरित	
4	अनारक्षित -3		वाणिज्य	पूरित	
5	अनारक्षित -4	उ० महिला	हिन्दी	रिक्त	
6	अनुसूचित जाति -2		जन्तु विज्ञान	पूरित	
7	अन्य पिछड़ा वर्ग -1		शिक्षक शिक्षा	पूरित	
8	अनारक्षित -5		गणित	पूरित	
9	अनारक्षित -6		इतिहास	पूरित	
10	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग-1		कृषि एवं विकास अध्ययन	रिक्त	
11	अनुसूचित जाति -3				
12	अनारक्षित -7	उ० महिला			
13	अनारक्षित -8				
14	अन्य पिछड़ा वर्ग -2				
15	अनारक्षित -9				
16	अनुसूचित जाति -4	उ० महिला			
17	अनारक्षित -10	उ० महिला			
18	अनारक्षित -11				
19	अन्य पिछड़ा वर्ग -3				
20	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग-2				

Dr. M. S.

21/12

Renu

21/12/25

विद्यालय के प्रमुख

21/12/25

रोस्टर पंजिका
संवर्ग- प्राध्यापक

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 124/XXX(2)/2020-53(01)/2001, दिनांक 22.05.2020 के अनुसार

रोस्टर क्रमांक	पद सृजन की दिनांक	पदनाम/विषय	रोस्टर श्रेणी	पूरित / कार्मिक का नाम	प्रथम नियुक्ति की तिथि	रिक्त	अभ्युक्ति	पद, प्रति स्थापना क्रमांक
1	11-08-2011	प्राध्यापक, विधि	अनुसूचित जाति	प्रो० अखिलेश कुमार नवीन	02-03-2021	रिक्त / प्रतिस्थापित	कार्यमुक्त दिनांक 27-12-2023	17 पर प्रतिस्थापित
2	03-07-2006	प्राध्यापक, अंग्रेजी	अनारक्षित	प्रो० एच० पी० शुक्ल	09-08-2011	रिक्त / प्रतिस्थापित	सेवानिवृत्त दिनांक 28-11-2021	16 पर प्रतिस्थापित
3	03-07-2006	प्राध्यापक, इतिहास	अनारक्षित	प्रो० गिरिजा पांडे	25-08-2011		कार्यरत	
4	03-07-2006	प्राध्यापक, कंप्यूटर साइंस	अनारक्षित	प्रो० दुर्गेश पन्त	09-08-2011		कार्यरत	
5	03-07-2006	प्राध्यापक, प्रबंध अध्ययन	अनारक्षित	प्रो० आर० सी० मिश्र	09-08-2011	रिक्त / प्रतिस्थापित	सेवानिवृत्त दिनांक 04-01-2023	18 पर प्रतिस्थापित
6	11-08-2011	प्राध्यापक, समाजशास्त्र	अनुसूचित जाति	प्रो० रेनु प्रकाश	18-02-2021		कार्यरत	
7	03-07-2006	प्राध्यापक, वाणिज्य	अन्य पिछड़ा वर्ग			रिक्त		
8	22-03-2010	प्राध्यापक, पत्रकारिता	अनारक्षित	प्रो० गोविन्द सिंह	18-08-2011	रिक्त / प्रतिस्थापित	कार्यमुक्त दिनांक 01-01-2021	15 पर प्रतिस्थापित
9	11-09-2019	प्राध्यापक, भूगर्भ विज्ञान	अनारक्षित	प्रो० पी० डी० पन्त	11-02-2021		कार्यरत	
10	03-07-2006	प्राध्यापक, शिक्षाशास्त्र	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग			रिक्त		
11	03-07-2006	प्राध्यापक, होटल प्रबंधन	अनुसूचित जाति			रिक्त		
12	11-08-2011	प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान	अनारक्षित			रिक्त		
13	11-08-2011	प्राध्यापक, शिक्षाशास्त्र	अनारक्षित			रिक्त		
14	06-10-2020	प्राध्यापक, भौतिकी	अन्य पिछड़ा वर्ग			रिक्त		
15	22-03-2010	प्राध्यापक, पत्रकारिता	अनारक्षित			रिक्त		
16	07-03-2006	प्राध्यापक, अंग्रेजी	अनुसूचित जाति			रिक्त		
17	08-11-2011	प्राध्यापक, विधि	अनारक्षित (उ० महिला)			रिक्त		
18	03-07-2006	प्राध्यापक, प्रबंध अध्ययन	अनारक्षित			रिक्त		
19			अन्य पिछड़ा वर्ग					
20			आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग					

Dr. K. K. K. K.

Dr. K. K. K. K.

Dr. K. K. K. K.

Dr. K. K. K. K.

रिक्त पदों के सापेक्ष ऊर्ध्व एवं क्षैतिज आरक्षण का विवरण

पद का नाम— प्राध्यापक (प्रोफेसर) रिक्त पदों की संख्या— 10

श्रेणी	क्षैतिज आरक्षण का विवरण							
	कुल रिक्त पद	उत्तराखण्ड महिला 30%	स्व० सं० सेनानी के आश्रित 02%	भूतपूर्व सैनिक 05%	अनाथ 05%	उत्तराखण्ड के कुशल खिलाड़ी 04%	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारियों या उनके आश्रित 10%	दिव्यांगजन 04%
अनुसूचित जाति	02	0	0	0	0	0	0	00
अनुसूचित जनजाति	00	0	0	0	0	0	0	
अन्य पिछड़ा वर्ग	02	0	0	0	0	0	0	
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	01	0	0	0	0	0	0	
अनारक्षित	05	1*	0	0	0	0	0	
योग	10	1	0	0	0	0	0	00

*नोट: प्राध्यापक संवर्ग में रिक्तियों के क्रमांक के अनुसार (रिक्त के क्र० 04 पर) 01 पद विधि विषय पर क्षैतिज आरक्षण (उत्तराखण्ड महिला) निर्धारित/चिह्नित किया गया है।

Handwritten signatures and marks are present below the table, including a large blue checkmark on the left and several signatures in black ink.

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव सचिव/सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: 22 मई, 2020

विशय : राज्याधीन सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं, सार्वजनिक उद्यमों/निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं के अंतर्गत सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व एवं समान अवसर के दृष्टिगत पद आधारित रोस्टर नीति का निर्धारण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या: 276/XXX(2)/2019-53(1)/2001 दिनांक 11 सितम्बर, 2019 द्वारा राज्याधीन सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं, सार्वजनिक उद्यमों/निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं के अंतर्गत सीधी भर्ती हेतु रोस्टर नीति लागू की गई थी। उक्त शासनादेश को अधिकमित करते हुए शासनादेश संख्या 97/XXX(2)/2020-53(1)/2001 दिनांक 19 मार्च, 2020 द्वारा शासन के सम्यक विचारोपरान्त पूर्ववर्ती रोस्टर क्रमांक के अनुसार (अर्थात् प्रथम पद अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित) राज्याधीन सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं, सार्वजनिक उद्यमों/निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं के अंतर्गत सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व एवं समान अवसर के दृष्टिगत पद आधारित (ऊर्ध्व एवं क्षैतिज) रोस्टर नीति का निर्धारण किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्याधीन सेवाओं में सीधी भर्ती से चयन के संबंध में संलग्न परिशिष्ट-1 (ऊर्ध्व आरक्षण), परिशिष्ट-2 (क्षैतिज आरक्षण) एवं परिशिष्ट-3 (मॉडल रोस्टर) के अनुसार रोस्टर निर्धारित करते हुए राज्याधीन सेवाओं में सीधी भर्ती से चयन हेतु निम्नवत् प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित किया जायेगा :-

1. राज्याधीन सेवा संवर्गों के अंतर्गत नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परिशिष्ट-1 के अनुसार सीधी भर्ती के पदों के सापेक्ष कार्यरत कार्मिकों को रोस्टर क्रमांक के सम्मुख प्रतिस्थापित करते हुए रोस्टर पंजिका तैयार की जायेगी।
2. संवर्गीय रोस्टर गठित होने के पश्चात् परिशिष्ट-2 के अनुसार पृथक-पृथक अनारक्षित/आरक्षित श्रेणियों हेतु क्षैतिज आरक्षण की गणना करते हुए रोस्टर पंजिका तैयार की जायेगी;

परन्तु उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को राजकीय/अशासकीय सेवाओं में क्षैतिज आरक्षण नियमावली, 2019 यथा संशोधन नियमावली, 2020 के उपबन्ध केवल सामान्य श्रेणी के पदों के सापेक्ष ही लागू होंगे।

3. नियुक्ति प्राधिकारी का दायित्व होगा कि प्रत्येक माह घटित होने वाली रिक्ति का कारण दर्शाते हुए रोस्टर पंजिका को अद्यतन किया जायेगा। इस हेतु प्रत्येक कार्यालयाध्यक्ष द्वारा एक नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा, जिसका दायित्व होगा कि प्रत्येक माह के प्रथम

- सप्ताह में रोस्टर पंजिका को अद्यतन किया जाय एवं इसकी सूचना संबंधित प्रशासकीय विभाग के माध्यम से कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन को प्रत्येक माह की 15 तारीख तक उपलब्ध करायी जायेगी। यदि संबंधित विभाग द्वारा सूचना प्रेषित नहीं करायी जाती है तो नोडल अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाय।
4. राज्याधीन सेवाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू होने की तिथि से आरक्षण की गणना की जायेगी, इसका भूतलक्षी प्रभाव नहीं होगा बल्कि रोस्टर क्रमांक के अनुसार घटित होने वाली रिक्तियों के अनुसार पद आधारित आरक्षण की गणना की जायेगी।
 5. नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा शुद्ध एवं परिणामी रिक्तियों की गणना करते हुए सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु अधियाचन संबंधित आयोग को समयांतर्गत प्रेषित की जाने की कार्यवाही की जायेगी। वर्तमान रोस्टर नीति के अनुसार सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व एवं समान अवसर के दृष्टिगत रिक्ति को रोटेट करते हुए अगले रोस्टर क्रमांक को भरे जाने की कार्यवाही सम्पन्न करायी जायेगी।
 6. क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत जिन श्रेणियों में चयन हेतु उपयुक्त पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न हों, ऐसे चयनों में दिव्यांगजन श्रेणी के रोस्टर क्रमांक को बैकलॉग हेतु रिक्ति रखा जायेगा तथा शेष श्रेणियों में सम्बन्धित वर्ग के ही प्रवीणता क्रम से सामान्य चयन की कार्यवाही करा ली जायेगी।
 7. दिव्यांगजन श्रेणी के अंतर्गत क्षैतिज आरक्षण उन्हीं सेवा संवर्गों में अनुमन्य होगा, जो विभागों एवं संवर्गों हेतु समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या-196/xvii-2/2011-29(स0क0)/2003 दिनांक 25 मार्च, 2011 तथा समय-समय पर निर्धारित होने वाले वर्गीकरण के अनुसार किया गया हो। दिव्यांगजन अधिनियम, 2016 का अनुपालन करते हुए कार्मिक विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-232 दिनांक 26 सितम्बर, 2018 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं दिशा-निर्देशों का भी पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 8. भूतपूर्व सैनिकों को राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजन के सन्दर्भ में भारत सरकार के O.M. No. 36034/27/84-Estt.(SCT) dated 02.05.1985, it was decided that once an ex-serviceman has joined the Government job on civil side after availing of the benefits given to him as an ex-serviceman for his re-employment, his ex-serviceman status for the purpose of re-employment in Government would cease." का प्राविधान राज्याधीन सेवाओं में लागू किया गया है। अतएव राज्याधीन सेवा संवर्गों में सेवायोजन हेतु भारत सरकार की नीति के अनुसार क्षैतिज आरक्षण की गणना की जायेगी।
 9. राज्याधीन सेवाओं में परिशिष्ट-1, 2 एवं 3 के अनुसार पद आधारित रोस्टर निर्गत होने के उपरांत आरक्षण की गणना हेतु फ्रैक्शन संबंधी शासनादेश संख्या-145, दिनांक 28 मई, 2018 को अधिकमित समझा जाय।
 10. सीधी भर्ती के किसी चयन में सेवा संवर्ग के अंतर्गत यदि आरक्षित रिक्तियों का प्रतिशत 50 प्रतिशत से अधिक हो तो ऐसे चयन में उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 (उत्तराखण्ड अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2001) की धारा 3 (4) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
 11. राज्याधीन सेवा संवर्गों में सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु रोस्टर प्रणाली को ऑन-लाइन किये जाने का प्रकरण कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के स्तर पर गतिमान है। अतः समस्त सचिव/विभागाध्यक्ष अपने-अपने नियन्त्रणाधीन सेवा संवर्गों में आरक्षित श्रेणी के बैकलॉक

परिशिष्ट-1


शासनादेश संख्या: 124 /XXX(2)/2020-53(01)2001 दिनांक 22 मई, 2020 का संलग्नक 4

राज्याधीन सेवाओं में सीधी भर्ती के अन्तर्गत, अनुसूचित जाति 19%, अन्य पिछड़ा वर्ग 14%, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 10% तथा अनुसूचित जनजाति 4% निर्धारित ऊर्ध्व आरक्षण के सापेक्ष रोस्टर आधारित पदों की गणना।

पद	पद की श्रेणी	अनुसूचित जाति 19%	अन्य पिछड़ा वर्ग 14%	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 10%	अनुसूचित जनजाति 4%
1	अनुसूचित जाति	0.19	0.14	0.10	0.04
2	अनारक्षित	0.38	0.28	0.20	0.08
3	अनारक्षित	0.57	0.42	0.30	0.12
4	अनारक्षित	0.76	0.56	0.40	0.16
5	अनारक्षित	0.95	0.70	0.50	0.20
6	अनुसूचित जाति	1.14	0.84	0.60	0.24
7	अन्य पिछड़ा वर्ग	1.33	0.98	0.70	0.28
8	अनारक्षित	1.52	1.12	0.80	0.32
9	अनारक्षित	1.71	1.26	0.90	0.36
10	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	1.90	1.40	1.00	0.40
11	अनुसूचित जाति	2.09	1.54	1.10	0.44
12	अनारक्षित	2.28	1.68	1.20	0.48
13	अनारक्षित	2.47	1.82	1.30	0.52
14	अन्य पिछड़ा वर्ग	2.66	1.96	1.40	0.56
15	अनारक्षित	2.85	2.10	1.50	0.60
16	अनुसूचित जाति	3.04	2.24	1.60	0.64
17	अनारक्षित	3.23	2.38	1.70	0.68
18	अनारक्षित	3.42	2.52	1.80	0.72
19	अन्य पिछड़ा वर्ग	3.61	2.66	1.90	0.76
20	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	3.80	2.80	2.00	0.80
21	अनुसूचित जाति	3.99	2.94	2.10	0.84
22	अनारक्षित	4.18	3.08	2.20	0.88
23	अनारक्षित	4.37	3.22	2.30	0.92
24	अनुसूचित जनजाति	4.56	3.36	2.40	0.96
25	अनारक्षित	4.75	3.50	2.50	1.00
26	अनुसूचित जाति	4.94	3.64	2.60	1.04
27	अनारक्षित	5.13	3.78	2.70	1.08
28	अन्य पिछड़ा वर्ग	5.32	3.92	2.80	1.12
29	अनारक्षित	5.51	4.06	2.90	1.16
30	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	5.70	4.20	3.00	1.20
31	अनुसूचित जाति	5.89	4.34	3.10	1.24
32	अनारक्षित	6.08	4.48	3.20	1.28
33	अनारक्षित	6.27	4.62	3.30	1.32
34	अनारक्षित	6.46	4.76	3.40	1.36

35	अन्य पिछड़ा वर्ग	6.65	4.90	3.50	1.40
36	अनुसूचित जाति	6.84	5.04	3.60	1.44
37	अनारक्षित	7.03	5.18	3.70	1.48
38	अनारक्षित	7.22	5.32	3.80	1.52
39	अनारक्षित	7.41	5.46	3.90	1.56
40	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	7.60	5.60	4.00	1.60
41	अनुसूचित जाति	7.79	5.74	4.10	1.64
42	अन्य पिछड़ा वर्ग	7.98	5.88	4.20	1.68
43	अनारक्षित	8.17	6.02	4.30	1.72
44	अनारक्षित	8.36	6.16	4.40	1.76
45	अनारक्षित	8.55	6.30	4.50	1.80
46	अनुसूचित जाति	8.74	6.44	4.60	1.84
47	अनारक्षित	8.93	6.58	4.70	1.88
48	अनुसूचित जन जाति	9.12	6.72	4.80	1.92
49	अन्य पिछड़ा वर्ग	9.31	6.86	4.90	1.96
50	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	9.50	7.00	5.00	2.00
51	अनुसूचित जाति	9.69	7.14	5.10	2.04
52	अनारक्षित	9.88	7.28	5.20	2.08
53	अनारक्षित	10.07	7.42	5.30	2.12
54	अन्य पिछड़ा वर्ग	10.26	7.56	5.40	2.16
55	अनारक्षित	10.45	7.70	5.50	2.20
56	अनुसूचित जाति	10.64	7.84	5.60	2.24
57	अनारक्षित	10.83	7.98	5.70	2.28
58	अनारक्षित	11.02	8.12	5.80	2.32
59	अनारक्षित	11.21	8.26	5.90	2.36
60	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	11.40	8.40	6.00	2.40
61	अनुसूचित जाति	11.59	8.54	6.10	2.44
62	अनारक्षित	11.78	8.68	6.20	2.48
63	अन्य पिछड़ा वर्ग	11.97	8.82	6.30	2.52
64	अनारक्षित	12.16	8.96	6.40	2.56
65	अनारक्षित	12.35	9.10	6.50	2.60
66	अनुसूचित जाति	12.54	9.24	6.60	2.64
67	अनारक्षित	12.73	9.38	6.70	2.68
68	अनारक्षित	12.92	9.52	6.80	2.72
69	अन्य पिछड़ा वर्ग	13.11	9.66	6.90	2.76
70	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	13.30	9.80	7.00	2.80
71	अनुसूचित जाति	13.49	9.94	7.10	2.84
72	अनुसूचित जनजाति	13.68	10.08	7.20	2.88
73	अनारक्षित	13.87	10.22	7.30	2.92
74	अनारक्षित	14.06	10.36	7.40	2.96
75	अनारक्षित	14.25	10.50	7.50	3.00
76	अनुसूचित जाति	14.44	10.64	7.60	3.04
77	अन्य पिछड़ा वर्ग	14.63	10.78	7.70	3.08
78	अनारक्षित	14.82	10.92	7.80	3.12

79	अनारक्षित	15.01	11.06	7.90	3.16
80	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	15.20	11.20	8.00	3.20
81	अनुसूचित जाति	15.39	11.34	8.10	3.24
82	अनारक्षित	15.58	11.48	8.20	3.28
83	अनारक्षित	15.77	11.62	8.30	3.32
84	अन्य पिछड़ा वर्ग	15.96	11.76	8.40	3.36
85	अनारक्षित	16.15	11.90	8.50	3.40
86	अनुसूचित जाति	16.34	12.04	8.60	3.44
87	अनारक्षित	16.53	12.18	8.70	3.48
88	अनारक्षित	16.72	12.32	8.80	3.52
89	अनारक्षित	16.91	12.46	8.90	3.56
90	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	17.10	12.60	9.00	3.60
91	अन्य पिछड़ा वर्ग	17.29	12.74	9.10	3.64
92	अनारक्षित	17.48	12.88	9.20	3.68
93	अनुसूचित जाति	17.67	13.02	9.30	3.72
94	अनारक्षित	17.86	13.16	9.40	3.76
95	अनारक्षित	18.05	13.30	9.50	3.80
96	अनुसूचित जनजाति	18.24	13.44	9.60	3.84
97	अनारक्षित	18.43	13.58	9.70	3.88
98	अन्य पिछड़ा वर्ग	18.62	13.72	9.80	3.92
99	अनारक्षित	18.81	13.86	9.90	3.96
100	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	19.00	14.00	10.00	4.00



(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव।

शासनादेश संख्या: 124 /XXX(2)/2020-53(01)2001 दिनांक 22 मई, 2020 का संलग्नक।

परिशिष्ट-2

राज्याधीन सेवाओं में सामान्य श्रेणी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु परिशिष्ट-1 के अनुसार प्रत्येक श्रेणी हेतु आगणित पदों के सापेक्ष क्षैतिज आरक्षण की गणना।


पद	पद की श्रेणी	उत्तराखण्ड महिला 30%	भूतपूर्व सैनिक 5%	दिव्यांगजन 4%	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित 2%	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे 5%
1	अनारक्षित	0.30	0.05	0.04	0.02	0.05
2	अनारक्षित	0.60	0.10	0.08	0.04	0.10
3	अनारक्षित	0.90	0.15	0.12	0.06	0.15
4	उत्तराखण्ड महिला	1.20	0.20	0.16	0.08	0.20
5	अनारक्षित	1.50	0.25	0.20	0.10	0.25
6	अनारक्षित	1.80	0.30	0.24	0.12	0.30
7	उत्तराखण्ड महिला	2.10	0.35	0.28	0.14	0.35
8	अनारक्षित	2.40	0.40	0.32	0.16	0.40
9	अनारक्षित	2.70	0.45	0.36	0.18	0.45
10	उत्तराखण्ड महिला	3.00	0.50	0.40	0.20	0.50
11	अनारक्षित	3.30	0.55	0.44	0.22	0.55
12	अनारक्षित	3.60	0.60	0.48	0.24	0.60
13	अनारक्षित	3.90	0.65	0.52	0.26	0.65
14	उत्तराखण्ड महिला	4.20	0.70	0.56	0.28	0.70
15	अनारक्षित	4.50	0.75	0.60	0.30	0.75
16	अनारक्षित	4.80	0.80	0.64	0.32	0.80
17	उत्तराखण्ड महिला	5.10	0.85	0.68	0.34	0.85
18	अनारक्षित	5.40	0.90	0.72	0.36	0.90
19	अनारक्षित	5.70	0.95	0.76	0.38	0.95
20	उत्तराखण्ड महिला	6.00	1.00	0.80	0.40	1.00
21	भूतपूर्व सैनिक	6.30	1.05	0.84	0.42	1.05
22	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे*	6.60	1.10	0.88	0.44	1.10
23	अनारक्षित	6.90	1.15	0.92	0.46	1.15
24	उत्तराखण्ड महिला	7.20	1.20	0.96	0.48	1.20
25	दिव्यांगजन	7.50	1.25	1.00	0.50	1.25
26	अनारक्षित	7.80	1.30	1.04	0.52	1.30
27	उत्तराखण्ड महिला	8.10	1.35	1.08	0.54	1.35
28	अनारक्षित	8.40	1.40	1.12	0.56	1.40
29	अनारक्षित	8.70	1.45	1.16	0.58	1.45
30	उत्तराखण्ड महिला	9.00	1.50	1.20	0.60	1.50
31	अनारक्षित	9.30	1.55	1.24	0.62	1.55
32	अनारक्षित	9.60	1.60	1.28	0.64	1.60
33	अनारक्षित	9.90	1.65	1.32	0.66	1.65
34	उत्तराखण्ड महिला	10.20	1.70	1.36	0.68	1.70

35	अनारक्षित	10.50	1.75	1.40	0.70	1.75
36	अनारक्षित	10.80	1.80	1.44	0.72	1.80
37	उत्तराखण्ड महिला	11.10	1.85	1.48	0.74	1.85
38	अनारक्षित	11.40	1.90	1.52	0.76	1.90
39	भूतपूर्व सैनिक	11.70	1.95	1.56	0.78	1.95
40	उत्तराखण्ड महिला	12.00	2.00	1.60	0.80	2.00
41	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे*	12.30	2.05	1.64	0.82	2.05
42	अनारक्षित	12.60	2.10	1.68	0.84	2.10
43	अनारक्षित	12.90	2.15	1.72	0.86	2.15
44	उत्तराखण्ड महिला	13.20	2.20	1.76	0.88	2.20
45	अनारक्षित	13.50	2.25	1.80	0.90	2.25
46	अनारक्षित	13.80	2.30	1.84	0.92	2.30
47	उत्तराखण्ड महिला	14.10	2.35	1.88	0.94	2.35
48	अनारक्षित	14.40	2.40	1.92	0.96	2.40
49	दिव्यांगजन	14.70	2.45	1.96	0.98	2.45
50	उत्तराखण्ड महिला	15.00	2.50	2.00	1.00	2.50
51	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित	15.30	2.55	2.04	1.02	2.55
52	अनारक्षित	15.60	2.60	2.08	1.04	2.60
53	अनारक्षित	15.90	2.65	2.12	1.06	2.65
54	उत्तराखण्ड महिला	16.20	2.70	2.16	1.08	2.70
55	अनारक्षित	16.50	2.75	2.20	1.10	2.75
56	अनारक्षित	16.80	2.80	2.24	1.12	2.80
57	उत्तराखण्ड महिला	17.10	2.85	2.28	1.14	2.85
58	अनारक्षित	17.40	2.90	2.32	1.16	2.90
59	अनारक्षित	17.70	2.95	2.36	1.18	2.95
60	उत्तराखण्ड महिला	18.00	3.00	2.40	1.20	3.00
61	भूतपूर्व सैनिक	18.30	3.05	2.44	1.22	3.05
62	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे*	18.60	3.10	2.48	1.24	3.10
63	अनारक्षित	18.90	3.15	2.52	1.26	3.15
64	उत्तराखण्ड महिला	19.20	3.20	2.56	1.28	3.20
65	अनारक्षित	19.50	3.25	2.60	1.30	3.25
66	अनारक्षित	19.80	3.30	2.64	1.32	3.30
67	उत्तराखण्ड महिला	20.10	3.35	2.68	1.34	3.35
68	अनारक्षित	20.40	3.40	2.72	1.36	3.40
69	अनारक्षित	20.70	3.45	2.76	1.38	3.45
70	उत्तराखण्ड महिला	21.00	3.50	2.80	1.40	3.50
71	अनारक्षित	21.30	3.55	2.84	1.42	3.55
72	अनारक्षित	21.60	3.60	2.88	1.44	3.60
73	अनारक्षित	21.90	3.65	2.92	1.46	3.65
74	उत्तराखण्ड महिला	22.20	3.70	2.96	1.48	3.70
75	दिव्यांगजन	22.50	3.75	3.00	1.50	3.75
76	अनारक्षित	22.80	3.80	3.04	1.52	3.80
77	उत्तराखण्ड महिला	23.10	3.85	3.08	1.54	3.85
78	अनारक्षित	23.40	3.90	3.12	1.56	3.90

79	भूतपूर्व सैनिक	23.70	3.95	3.16	1.58	3.95
80	उत्तराखण्ड महिला	24.00	4.00	3.20	1.60	4.00
81	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे*	24.30	4.05	3.24	1.62	4.05
82	अनारक्षित	24.60	4.10	3.28	1.64	4.10
83	अनारक्षित	24.90	4.15	3.32	1.66	4.15
84	उत्तराखण्ड महिला	25.20	4.20	3.36	1.68	4.20
85	अनारक्षित	25.50	4.25	3.40	1.70	4.25
86	अनारक्षित	25.80	4.30	3.44	1.72	4.30
87	उत्तराखण्ड महिला	26.10	4.35	3.48	1.74	4.35
88	अनारक्षित	26.40	4.40	3.52	1.76	4.40
89	अनारक्षित	26.70	4.45	3.56	1.78	4.45
90	उत्तराखण्ड महिला	27.00	4.50	3.60	1.80	4.50
91	अनारक्षित	27.30	4.55	3.64	1.82	4.55
92	अनारक्षित	27.60	4.60	3.68	1.84	4.60
93	अनारक्षित	27.90	4.65	3.72	1.86	4.65
94	उत्तराखण्ड महिला	28.20	4.70	3.76	1.88	4.70
95	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे*	28.50	4.75	3.80	1.90	4.75
96	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित	28.80	4.80	3.84	1.92	4.80
97	उत्तराखण्ड महिला	29.10	4.85	3.88	1.94	4.85
98	दिव्यांगजन	29.40	4.90	3.92	1.96	4.90
99	भूतपूर्व सैनिक	29.70	4.95	3.96	1.98	4.95
100	उत्तराखण्ड महिला	30.00	5.00	4.00	2.00	5.00

* उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को राजकीय/अशासकीय सेवाओं में क्षैतिज आरक्षण।




(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव।
०८

शासनादेश संख्या: 124 XXX(2)2020-53(01)2001 दिनांक 22 मई, 2020 का संलग्नक।

परिशिष्ट-3

मॉडल रोस्टर

R	1st	2nd	3rd	4th	5th	6th	7th	8th	9th	10th	11th	12th	13th	14th	15th	16th	17th	18th	19th	20th	21st	22nd	23rd	24th
1	SC	UR	UR	UR	UR	SC	OBC	UR	UR	EWS	SC	UR	UR	OBC	UR	SC	UR	UR	OBC	EWS	SC	UR	UR	ST
2	UR	UR	UR	UR	SC	OBC	UR	UR	EWS	SC	UR	UR	OBC	UR	SC	UR	UR	OBC	EWS	SC	UR	UR	ST	
3	UR	UR	UR	SC	OBC	UR	UR	EWS	SC	UR	UR	OBC	UR	SC	UR	UR	OBC	EWS	SC	UR	UR	ST		
4	UR	UR	SC	OBC	UR	UR	EWS	SC	UR	UR	OBC	UR	SC	UR	UR	OBC	EWS	SC	UR	UR	ST			
5	UR	SC	OBC	UR	UR	EWS	SC	UR	UR	OBC	UR	SC	UR	UR	OBC	EWS	SC	UR	UR	ST				
6	SC	OBC	UR	UR	EWS	SC	UR	UR	OBC	UR	SC	UR	UR	OBC	EWS	SC	UR	UR	ST					
7	OBC	UR	UR	EWS	SC	UR	UR	OBC	UR	SC	UR	UR	OBC	EWS	SC	UR	UR	ST						
8	UR	UR	EWS	SC	UR	UR	OBC	UR	SC	UR	UR	OBC	EWS	SC	UR	UR	ST							
9	UR	EWS	SC	UR	UR	OBC	UR	SC	UR	UR	OBC	EWS	SC	UR	UR	ST								
10	EWS	SC	UR	UR	OBC	UR	SC	UR	UR	OBC	EWS	SC	UR	UR	ST									
11	SC	UR	UR	OBC	UR	SC	UR	UR	OBC	EWS	SC	UR	UR	ST										
12	UR	UR	OBC	UR	SC	UR	UR	OBC	EWS	SC	UR	UR	ST											
13	UR	OBC	UR	SC	UR	UR	OBC	EWS	SC	UR	UR	ST												
14	OBC	UR	SC	UR	UR	OBC	EWS	SC	UR	UR	ST													
15	UR	SC	UR	UR	OBC	EWS	SC	UR	UR	ST														
16	SC	UR	UR	OBC	EWS	SC	UR	UR	ST															
17	UR	UR	OBC	EWS	SC	UR	UR	ST																
18	UR	OBC	EWS	SC	UR	UR	ST																	
19	OBC	EWS	SC	UR	UR	ST																		
20	EWS	SC	UR	UR	ST																			
21	SC	UR	UR	ST																				
22	UR	UR	ST																					
23	UR	ST																						
24	ST																							

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]